

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
O.A. No. 367/2025**

**IN THE MATTER OF:**

KRISHAN VIR SINGH & ANR.

...APPLICANT

Versus

GHAZIABAD DEVELOPMENT  
AUTHORITY & ORS.

...RESPONDENTS

**INDEX**

S. No.	Particulars	Page No.
1.	COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 TO 3.	1-9.
2.	<b><u>Annexure R-1 (Colly)</u></b> - Copy of Show Cause Notice dated 08.04.2024 and Police Intimation Letter dated 08.04.2024.	10-11
3.	<b><u>Annexure R-2</u></b> - Copy of Order dated 08.04.2024 written by Respondent No.1 to Competent Authority (UPTPD Act 1973).	12
4.	<b><u>Annexure R-3</u></b> - The copy of Letter No. 04/Enforcement Zone-4/2024 dated 24.04.2024.	13
5.	<b><u>Annexure R-4</u></b> - The copy of Demolition Notice dated 12.06.2024.	14
6.	<b><u>Annexure R-5</u></b> - The copy of Letter dated 07.08.2024 sent to ACP, Kavi Nagar, Ghaziabad.	15
7.	<b><u>Annexure R-6</u></b> - The copy of Letter dated 09.08.2024.	16

8.	<b><u>Annexure R-7 (Colly.)</u></b> - The copy of Complaint dated 09.08.2024 sent by officials of Respondent No. 1 Authority to SHO, PS Kavi Nagar.	17 - 18
9.	<b><u>Annexure R-8</u></b> - The copy of Sealing Order dated 20.08.2024 passed by Respondent No.1.	19
10.	<b><u>Annexure R-9</u></b> - The copy of Letter dated 20.08.2024 sent to SHO PS Kavi Nagar.	20
11.	<b><u>Annexure R-10</u></b> - The copy of Letter dated 03.09.2024 written to ACP, Kavi Nagar, Ghaziabad.	21
12.	<b><u>Annexure R-11</u></b> - The copy of Letter dated 12.09.2024 written to Chief Engineer Office.	22
13.	<b><u>Annexure R-12</u></b> - The copy of FIR No. 0969/2024 dated 01.10.2024.	23 - 28
14.	<b><u>Annexure R-13 (Colly.)</u></b> - The photographs of sealing drive and demolition carried out by Respondent No.1.	29 - 31
15.	<b><u>Annexure R-14 (Colly.)</u></b> - The copy of Show Cause Notices dated 23.08.2025.	32 - 38
16.	VAKALATNAMA	39
17.	PROOF OF SERVICE	40

**Place: Ghaziabad**

**Dated: 30.08.2025**

**Filed by:**

*Anshul Sharma*  
**ANSHUL SHARMA**  
**Advocate**

*HASH Associates LLP*

Ch. No. 401, Block-1,


Delhi High Court,

New Delhi-110003

Contact: +91-8585954922

Email: [advanshul.s@gmail.com](mailto:advanshul.s@gmail.com)

1



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
O.A. No. 367/2025**

**IN THE MATTER OF:**

KRISHAN VIR SINGH & ANR.

... APPLICANT

Versus.


GHAZIABAD DEVELOPMENT  
AUTHORITY & ORS.

... RESPONDENTS

**COUNTER-AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 TO 3**

I, Mr. Rajesh Kumar Singh, S/o RAGHU RAJ SINGH, age about 58 years, posted currently as Secretary, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I am posted as Secretary, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad, Uttar Pradesh and am authorized to sign and swear this Affidavit on behalf of the Respondents No. 1 to 3 as I am conversant with the facts and circumstances of the above case.



That I have gone through the contents of the above-titled case and have understood the same and response thereto. It is vehemently submitted that the contents of the same are wrong and incorrect except and otherwise specifically admitted by the undersigned in the body of this Counter Affidavit.

राजेश कुमार सिंह  
सचिव

**PRE-LIMINARY OBJECTIONS**

3. That no cause of action has arose in favour of the Applicant to file the present case before the Hon'ble Tribunal as the applicant is neither the owner nor the occupier of the land in question and has no locus to file the present application hence, the present application is liable to be dismissed on this ground.
4. That from the contents of the application, it appears to be a dispute between private individuals and that the applicant has filed the present application to settle his personal scores with persons named in the application namely Mr. Nitin Sharma & Mr. Ravi Sharma and thus, the applicant has not approached with Hon'ble Tribunal with clean hands thus, the application is liable to be dismissed.
5. That Shastri Nagar Colony was developed by Ghaziabad Development Authority and was handed over to Ghaziabad Nagar Nigam in the year 2001.
6. That the applicant is the resident of SF-184, Shastri Nagar, Ghaziabad and has done unauthorized construction of balcony towards the Green Belt of Shastri Nagar therefore, the Applicant is himself a violator and encroacher of the Green Belt and thus, has not approached this Hon'ble Tribunal with clean hands. The application is liable to be dismissed on this ground alone.



*RK Singh*

राजेश कुमार सिंह  
सचिव

**BRIEF SUBMISSIONS:**

7. It is submitted that Respondent No.1 had developed a colony in Shastri Nagar, Ghaziabad in a planned manner wherein a green belt of 65 feet was developed by the Respondent No.1 Authority. After development of the Colony, the maintenance was handed over to Ghaziabad Nagar Nigam in the year 2001 along with other villages.
8. It is submitted that a complaint dated 16.03.2018 by the applicant No.1 was received in the office of Respondent No.1 Authority in respect of unauthorized construction and encroachment of Green Belt Area of Shastri Nagar, Ghaziabad. A field inquiry was conducted by the Respondent No.1 and it was found that some illegal occupants of adjacent unauthorized land to the Green Belt have encroached upon the Green Belt. It was also noted that as the adjacent land is unauthorized, no building plans are passed by the Authority in respect of that area.
9. It is submitted that Respondent No.1 upon the directions of Respondent No. 2 & 3 have initiated action against the illegal construction and encroachment done on Green Belt of Shastri Nagar Area. In respect of Khasra No. 687 min and 687/1 Village Harsaon, Shastri Nagar, Ghaziabad, Show Cause Notice dated 08.04.2024 were issued U/s 27(1) UTPD Act 1973 to Mr. Nitin Sharma and Mr. Ravi Kumar Sharma for raising illegal construction and violation of Section 14 & 15 of Uttar Pradesh Town Planning and Development Act 1973 along with a copy to Police Commissioner, Ghaziabad and a copy to SHO,




  
 राजेश कृष्ण सिंह  
 अधिव

PS Kavi Nagar, Ghaziabad and a case was registered as Case No. GDA/ANI/2024/0002811 by Respondent No.1. Copy of Show Cause Notice dated 08.04.2024 and Police Intimation Letter dated 08.04.2024 is annexed herewith as **Annexure R-1 (Colly)**. Copy of Order dated 08.04.2024 written by Respondent No.1 to Competent Authority (UPTPD Act 1973) is annexed herewith as **Annexure R-2**, for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

10. It is submitted that upon no receipt of reply by the violators/ encroachers to Show Cause Notice dated 08.04.2024, the Respondent No.1 issued another Show Cause Notice dated 22.04.2024 was issued to Mr. Nitin Sharma and Mr. Ravi Kumar Sharma and on 24.04.2024, the illegal construction was sealed by the Respondent No.1 Authority an intimation dated 24.04.2024 vide Letter No. 04/Enforcement Zone-4/2024 was sent to SHO, PS Kavi Nagar, Ghaziabad requesting him to ensure that status quo was maintained at the site. The copy of Letter No. 04/Enforcement Zone-4/2024 dated 24.04.2024 is annexed herewith as **Annexure R-3**.

11. It is submitted that the violators/ encroachers failed to reply to the Show Cause Notices dated 08.04.2024 & 22.04.2024, thus, Respondent No.1 issued a demolition notice dated 12.06.2024 to Mr. Nitin Sharma and Mr. Ravi Kumar Sharma thereby directing them to demolish the illegal structure on the encroached land within a period of 25 days from the receipt of notice failing which the Respondent No.1 would




*Rishat*  
राजेश कुमार सिंह  
सचिव

5

demolish the structure themselves. The copy of Demolition Notice dated 12.06.2024 is annexed herewith as Annexure R-4.


12. It is submitted that the above-named violators/ encroachers violated the sealing orders issued by Respondent No.1 and started raising construction on the site which was duly informed by the Respondent No.1 to the Asst. Commissioner of Police, Kavi Nagar, Ghaziabad vide Letter dated 07.08.2024 thereby requesting him to lodge an FIR against the violators for the said violation. The copy of Letter dated 07.08.2024 sent to ACP, Kavi Nagar, Ghaziabad is annexed herewith as Annexure R-5. It is pertinent to mention here that the violators/builders willfully and deliberately broke open the seal and started raising unauthorized construction on the said land, upon receiving information, Respondent No.1 immediately informed the Police Authorities vide letter dated 09.08.2024 seeking registration of FIR against the violators/ builders/ encroachers. The copy of Letter dated 09.08.2024 is annexed herewith as Annexure R-6. A complaint was sent to SHO PS Kavi Nagar by the officials of Respondent No.1 Authority against Mr. Nitin Kumar Sharma and Mr. Ravi Kumar Sharma for breaking open the seal and raising illegal construction. The copy of Complaint dated 09.08.2024 sent by officials of Respondent No. 1 Authority to SHO, PS Kavi Nagar is annexed herewith as Annexure R-7 (Colly.).



R. K. Singh

राजेश कुमार शिंड  
सचिव

13. It is submitted that the Respondent No.1 again sealed the illegal construction being carried out by Mr. Nitin Sharma and Mr. Ravi Kumar Sharma on Khasra No. 687 min & 687/1 and passed a Sealing Order dated 20.08.2024 U/s 28(a)(1) of UPTPD Act 1973. The copy of Sealing Order dated 20.08.2024 passed by Respondent No.1 is annexed herewith as **Annexure R-8**. The Respondent No.1 again issued a Letter dated 20.08.2024 to the SHO, PS Kavi Nagar, Ghaziabad informing him about the sealing order dated 20.08.2024 and was requested to ensure compliance of Sealing Order and maintaining status quo at the site. The copy of Letter dated 20.08.2024 sent to SHO PS Kavi Nagar is annexed herewith as **Annexure R-9**. It is pertinent to mention here that despite many efforts and sealing orders issued by the Respondent No.1, the violators again started raising illegal construction on the said land and thus, Respondent No.1 again wrote a Letter dated 03.09.2024 to the Asst. Commissioner of Police, Kavi Nagar, Ghaziabad requesting police assistance. The copy of Letter dated 03.09.2024 written to ACP, Kavi Nagar, Ghaziabad is annexed herewith as **Annexure R-10**. The Respondent also wrote a Letter dated 12.09.2024 to Chief Engineer Office, Ghaziabad-I, Sub-Station, RDC, Ghaziabad for refusal of electricity connection in the unauthorized construction carried out by Mr. Nitin Kumar Sharma & Mr. Ravi Kumar Sharma. The copy of Letter dated 12.09.2024 written to Chief Engineer Office is annexed herewith as **Annexure R-11**.



  
रजेश कुमार सिंह  
सचिव


7

14. It is submitted that on 01.10.2024, a FIR was registered in PS Kavi Nagar, Ghaziabad bearing No. 0969/2024 against Mr. Nitin Kumar Sharma & Mr. Ravi Kumar Sharma on the complaint of Respondent No. 1. The copy of FIR No. 0969/2024 dated 01.10.2024 is annexed herewith as Annexure R-12.

15. It is submitted that the Respondent No.1 has also carried out demolition of the unauthorized construction/ encroachment on Khasra No. 687 min and 687/1. The photographs of sealing drive and demolition carried out by Respondent No.1 is annexed herewith as Annexure R-13 (Colly.).

16. It is further submitted that further illegal/ unauthorized construction was identified by Respondent No.1 Authority in Shastri Nagar Area and Show Cause Notices dated 23.08.2025 were issued to the violators. The copy of Show Cause Notices dated 23.08.2025 is annexed herewith as Annexure R-14 (Colly.).

17. It is submitted that Respondent No.1 Authority on the directions of Respondent No. 2 & 3 is working tirelessly to curb the menace of illegal/ unauthorized construction and encroachment of green belt area in Shastri Nagar, Ghaziabad. The Respondent No. 1 to 3 have taken steps to restore the green belt area and demolish illegal unauthorized construction while following due process of law and principles of Natural Justice "Audi Alteram Partem" as laid down by various High Courts and Hon'ble Supreme Court of India.



Rajendra Pratap Chhabber

राजेश कुमार सिंह  
सचिव


18. It is submitted that Respondent No.1 has been taking steps to curb the issues falling within its jurisdiction on its own and upon receipt of complaints by individuals. The perusal of record clearly signifies that the Respondent No. 1 to 3 are making a willful and deliberate effort to restore the Green Belt Area within its jurisdiction in Shastri Nagar Area, Ghaziabad.

19. It is submitted that the Hon'ble National Green Tribunal is duly empowered to pass directions/ orders for protection of Environment including the Green Belt Area belonging to the Respondent No.1 Authority falling in Shastri Nagar Area, Ghaziabad and the Respondent No.1 to 3 are ready and willing to abide/comply by any order/ direction passed by this Hon'ble Tribunal in such respect.

It is prayed accordingly.

Place:

Dated:



S. No. 0230 AUG 2025  
 Shri. Rajesh Kumar Singh  
 S/O. Rajesh Singh  
 R/O. Secretary, G.P.A. Ghaziabad  
 Identified by Through Shri. (Signature)

*Rajesh*

DEPONENT

राजेश कुमार सिंह  
 सचिव

**ATTENDED**  
 Chandra Pratap Chhibber  
 Advocate & Notary Public  
 Ghaziabad  
 Regn No 13489

9


**VERIFICIATION:**

That the contents of para No. 1 & 2 are based on my personal knowledge, contents of para No. 3 to 6 are based on the legal advice received by me through my counsel and contents of para No. 7 to 18 are based on the information received which are believed to be true and correct, to the best of my knowledge. Verified at Ghaziabad on this \_\_\_ day of August 2025.

*Rajesh*

DEPONENT  
राजेश कुमार सिंह  
सचिव

Through



*Anshul*

ANSHUL SHARMA  
Advocate  
HASH Associates LLP  
Ch. No. 401, Block-I,  
Delhi High Court,  
New Delhi-110003  
Contact: +91-8585954922  
Email: advanshul.s@gmail.com

No. 02 Date 30 AUG 2025  
Sd/- *Rajesh Kumar Singh* andavit of  
S/o. *Rajesh Kumar Singh*  
R/o. *Secretary, C.P. A. Ghaziabad*  
Identifies by Through *[Signature]*  
ATTESTED  
*[Signature]*  
Rajendra Pratap Chhibber  
Advocate & Notary Public  
Ghaziabad  
Reg. No. 13489



# न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (घ)

(कृपया विनियम 8 देखिये)

## कारण बताओ नोटिस

दिनांक:- 08/04/2024

प्रेषण दिनांक 08/04/2024

बाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0002811

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0010528

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा

भूखण्ड सं0 ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद। पर स्थित भवन का जिसमें

"खसरा सं0-687 मि0 व 687/1 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति कराये बिना लगभग 250.00 वर्गमी0 में भूतल पर कॉलम खड़े किये जा रहे हैं",

है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 18/04/2024 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वोक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

टिप्पणी :- आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिनाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्थ दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रु० (रुपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रु० - 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

*Handwritten signature and date:*  
15.4.2024

सक्षम प्राधिकारी  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

TRUE COPY



# न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

## पुलिस कॉपी

प्रेषक:

सक्षम प्राधिकारी (प्रवर्तन)

सेवा में,

पुलिस आयुक्त  
गाजियाबाद

Smt. Gunja Singh (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)

भूखण्ड सं० ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गाजियाबाद  
निवास का पता :- ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद।

दिनांक:- 08/04/2024

वाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0002811

प्रेषण दिनांक 08/04/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0010530

विषय : GDA/ANI/2024/0002811, 08/04/2024, श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा - भूखण्ड सं० ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गाजियाबाद के सम्बंध में।

महोदय,

श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा, भूखण्ड सं० ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गाजियाबाद अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है, इस संदर्भ में पक्ष को उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) तथा धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कारण बताओ तथा काम रोको नोटिस जारी कर दी गयी है, परंतु पक्ष ने अभी तक कार्य नहीं रोका है।

अतः आपको यह पत्र इस आशय तथा अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उक्त कार्य को रुकवा कर इसी अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

प्रतिलिपि: - 1- थाना अध्यक्ष SHO, KAVI NAGAR को इस आशय तथा अनुरोध के साथ प्रेषित की कि वह उक्त अनाधिकृत निर्माण को पुलिस की सहायता से रुकवाकर इसी अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत इस विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें।

2- श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा, भूखण्ड सं० ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गाजियाबाद

सक्षम प्राधिकारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।



TRUE COPY

(12)

सांख्यिकारी



## न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

भाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
विकास पथ, पुराना बस अड्डा, भाजियाबाद उत्तर प्रदेश  
प्रपत्र- (फ)  
(कृपया विनियम II देखें)

### विकास कार्य रोकने की सूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा- 28 की उपधारा- 1 के अधीन  
आदेश।

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (प्रवर्तन). उ. प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम  
विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र भाजियाबाद

दिनांक:- 08/04/2024

पाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0002811

प्रेषण दिनांक 08/04/2024

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0010529

भाजियाबाद विकास प्राधिकरण अनाम श्री विजिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा

प्लॉट सं० राम-हरतांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE  
CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA  
ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, भाजियाबाद

क्योंकि आपके द्वारा राम-हरतांव, निकट-शास्त्रीनगर, भाजियाबाद में, स्थित भूमि पर महायोजना / परियोजना विकास योजना का उल्लंघन करके धारा- 14 के  
निर्दिष्ट अनुज्ञा अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन धारा-14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी की गयी है। विकास कार्य  
प्रारम्भ कर दिया गया है / किया जा रहा है।

अतएव एतद्वारा मैं उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियमों का प्रयोग करके यह अपेक्षा करता हूँ  
और आदेश देता हूँ कि: उपर्युक्त विकास कार्य आदेश की तारीख से बंद कर दिया जाए और उस तारीख से बंद रहे। इस आदेश का धारा-26-27 के उपबंधों  
का फोटो प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा-28(4) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन उपरोक्त पारित आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला कोई  
व्यक्ति सुमानि से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का तागिल होने के पश्चात अनाधिकृत निर्माण जारी रहा हो, रू० -200/- प्रतिदिन तक हो सकेगा।

*J. Anand*  
15/04/2024

सक्षम प्राधिकारी

भाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

AS  
TRUE COPY



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक ०५ / प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 24-4-2024

सेवा में

थाना प्रभारी  
थाना-कविनगर  
गाजियाबाद।

विषय:- खसरा सं०-687 मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर सील बन्द किये गये निर्माण की निगरानी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक खसरा सं०-687 मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना किये गये निर्माण को दिनांक 24.04.2024 को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 28क (1) के अन्तर्गत सील बन्द कर दिया गया है। कृपया उक्त सील बन्द निर्माण को यथा स्थिति में बनाये रखने एवं सतत निगरानी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

*Rahul*

पृ०सं० ०५ / प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 24-4-2024  
f: (प्रभारी प्रवर्तन जोन-4)  
*Rahul*

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी निरीक्षक, जी०डी०ए० को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से सतत निगरानी रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

*Rahul (Recd.)*  
24/4/24 (5: PM)

*Rahul*  
f: (प्रभारी प्रवर्तन जोन-4)  
*Rahul*

TRUE COPY



## न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

गजियाबाद विकास प्राधिकरण।

विकास पथ, पुराना बस अड्डा, गजियाबाद उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र- (क)

(कृपया विनियम 9 देखिये)

### भवन गिराने का नोटिस

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन

दिनांक:- 08/04/2024

प्रेषण दिनांक 12/06/2024

वाद संख्या:- GDA/ANI/2024/0002811.

प्रेषण संख्या GDA/DSP/0011534

गजियाबाद विकास प्राधिकरण बनाम श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा

भूखण्ड सं0 ग्राम-हरसांव, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC, गजियाबाद

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा के अधीन भवन गिराने की आज्ञा

उपरोक्त स्थल पर स्थित भवन जिसमें आपने परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के अनाधिकृत निर्माण किया है। जिसमें आपजको सुनवाई का और यह बताने का समुचित अवसर दिया गया था कि अनाधिकृत निर्माण को क्यों न गिरा दिया जाए।

क्यों कि आप ऐसी आज्ञा जारी करने के विरुद्ध कारण बताने में असफल रहे हैं। और आपने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है।

अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 25 (पच्चीस) दिनों के भीतर अनाधिकृत निर्माण को स्वयं गिरा दें अन्यथा विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण को गिरा दिया जाएगा तथा गिराने पर होने वाले व्यय को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा। आप दिनांक 07/07/2024 को उपस्थित होकर यह अवगत कराएं कि अनाधिकृत निर्माण गिरा दिया गया है, अथवा नहीं। यदि उक्त तिथि तक विपक्षी द्वारा ध्वस्तीकरण नहीं कराया जाता है तो प्रवर्तन खण्ड ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएँ।

सक्षम प्राधिकारी

गजियाबाद विकास प्राधिकरण।

प्रतिलिपि: - अधि०अभि० को अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

सक्षम प्राधिकारी

गजियाबाद विकास प्राधिकरण।





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पण, गाजियाबाद।

U.S.O. 9001 2000, एन. एस.ओ. 14001 2004 प्राधिकृत संकेत

पत्रांक - 372 / प्रवर्तन जोन-4 / 2024

दिनांक - 7-8-2024

सेवा में,

सहायक पुलिस आयुक्त-कविनगर,  
कमिश्नरेट,  
गाजियाबाद।

विषय:- भूखण्ड/भवन/खसरा सं०-687, गि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शारत्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी शील को तोड़कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री संजय कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी तहरीर मूल रूप से संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित है कि तदनुसार अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार मूल तहरीर।

विशेष कार्यधिकारी/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

दिनांक - 7-8-2024

पु०सं०-372 / प्रवर्तन जोन-4 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. थाना प्रभारी, थाना-कविनगर, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि पत्र के साथ संलग्न क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर० दर्ज) कराने का कष्ट करें।

8/8/24

TRUE COPY

विशेष कार्यधिकारी/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

7/8/24



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - 301 / प्रवर्तन जोन-4 / 2024

दिनांक - 9-8-2024

सेवा में

पुलिस उपायुक्त-नगर  
कनिश्चरेट,  
गाजियाबाद।

विषय - भूखण्ड/भवन/खसरा सं0-687, मि0 व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी सील को तोड़कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में।



कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री संजय कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी तहरीर मूल रूप से संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित है कि तदनुसार अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार मूल तहरीर।

अपर सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

पृ0स0- / प्रवर्तन जोन-4 / 2024

दिनांक -

प्रतिलिपि :-

1. सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

अपर सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4



(17)



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

तहरीर

सेवा में,

थाना प्रभारी,  
थाना-कविनगर  
गाजियाबाद।

विषय:- भूखण्ड/भवन/खसरा सं०-687, मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी सील को तोड़कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त भवन सं०-687, मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत वाद सं०-GDA/ANI/2024/0002811 दिनांक 08.04.2024 संस्थित कर कार्य रोको आदेश व कारण बताओ नोटिस/अनुस्मारक पत्र दिनांक 08.04.2024 एवं दिनांक 22.04.2024 निर्गत किया गया एवं साक्ष्य/सुनवाई हेतु दिनांक 18.04.2024 एवं दिनांक 29.04.2024 की तिथि नियत कर सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा-14, 15, 26, 27, 28 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा-28क (1) के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्य को सील किये जाने के आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन में स्थल पर दिनांक 24.04.2024 को सीलबन्द कर दिया गया, परन्तु मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 05.08.2024 के दौरान पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा सील किये गये परिसर में भूतल की छत डालते हुए प्रथम तल की छत पर कार्य किया जा रहा है, जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन है।

अतः अवैध निर्माणकर्ता श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक 21.08.24

(संजय कुमार)

अवर अभियन्ता

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

AS  
TRUE COPY



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एष I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक - ...../प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक - .....

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त-नगर  
कमिश्नरेट,  
गाजियाबाद।

विषय:- भूखण्ड/भवन/खसरा सं०-687, मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शारत्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी सील को तोड़कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, श्री संजय कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी तहरीर मूल रूप से संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित है कि तदनुसार अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार मूल तहरीर।

अपर सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

दिनांक 09-08-2024

पत्रांक- 3811/प्रवर्तन जोन-4/2024

प्रतिलिपि :-

सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

Seen  
[Signature]  
17/08/2024

[Signature]  
अपर सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

3811/17/08/2024

CC  
[Signature]  
17/08/24  
AE

AS  
TRUE COPY



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

वाद सं०-GDA/ANI/2024/0002811

दिनांक 20.04.2024

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित-1997) को धारा-28 क (1) के अन्तर्गत निर्माण सील किये जाने के आदेश।

सेवा में


श्री नितिन कुमार शर्मा एवं रवि कुमार शर्मा  
ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर  
गाजियाबाद।

आपके द्वारा ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर गाजियाबाद पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अन्तर्गत बिना अनुमति प्राप्त किये "खसरा सं०-687 मि० व 687/1 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति कराये बिना लगभग 250.00 वर्गमी० में भूतल पर कॉलम खड़े किये जा रहे हैं",

इस सम्बन्ध में आपको दिनांक 08.04.2024 को कारण बताओ नोटिस एवं दिनांक 22.04.2024 को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु आप द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण दिनांक 24.04.2024 में निर्माण स्थल को सील कर दिया गया था, किन्तु आप द्वारा सील परिसर में पुनः निर्माण कार्य जारी रखते हुए भूतल एवं प्रथम तल की छत डाल दी गयी है, जो सरकारी आदेशों का उल्लंघन है।

अतः ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर गाजियाबाद पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को अधिनियम की धारा 28क (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त परिसर को पुनः सील बन्द किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा अपनी उपस्थिति में उक्त परिसर को स्थल पर सील कराया जायेगा। उक्त अनाधिकृत निर्माण/विकास के क्रियान्वयन या पर्यवेक्षण में लगे व्यक्ति द्वारा अधि-प्रमाणित किया जायेगा और उपरिवर्णित व्यक्तियों की अनुपस्थित या अनिच्छा की स्थिति में उसे दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित कराया जायेगा। इस आदेश के उपरान्त परिसर में किसी भी प्रकार का प्रवेश/निर्माण पूर्णतया वर्जित है। यदि उपरोक्त आदेश का किसी भी प्रकार उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

  
सक्षम अधिकारी/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4



AS  
TRUE COPY



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पत्र, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्राणित संस्था

पत्रांक 429 / प्रवर्तन जोन-4 / 2024  
सेवा में

दिनांक 20.08.24

थाना प्रभारी  
थाना-कविनगर  
गाजियाबाद।

विषय:- खसरा सं०-687 मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर सील बन्द किये गये निर्माण की निगरानी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 04/प्रवर्तन जोन-4/2024 दिनांक 24.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा सं०-687 मि० व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना किये गये निर्माण को दिनांक 24.04.2024 को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 28क (1) के अन्तर्गत सील बन्द कर दिया गया था, कि सतत निगरानी हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा सील परिसर में पुनः निर्माण कार्य जारी रखते हुए भूतल एवं प्रथम तल की छत डाल दी गयी है, जिसे आज दिनांक 20.08.2024 को पुनः सील कर दिया गया है।

अतः उक्त सील बन्द निर्माण को यथा स्थिति में बनाये रखने एवं सतत निगरानी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

अपर/सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

पृ०सं० 429 / प्रवर्तन जोन-4 / 2024  
प्रतिलिपि-

दिनांक 20.08.24

1. प्रभारी निरीक्षक, जी०डी०ए० को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से सतत निगरानी रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

20/8/24

अपर/सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

AS  
TRUE COPY



(21)

ANNEXURE R-102

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 531/प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 03-9-2024

सेवा में,

सहायक पुलिस आयुक्त-कविनगर  
कमिश्नरेंट  
गाजियाबाद।

विषय:- भूखण्ड/भवन/खसरा सं0-687, मि0 व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी सील को तोड़कर अवैध निर्माण को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त भवन सं0-687, मि0 व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत वाद सं0-GDA/ANI/2024/0002811 दिनांक 08.04.2024 संस्थित कर कार्य रोको आदेश व कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के साथ-साथ स्थल पर कार्य रोके जाने हेतु थाना प्रभारी, थाना-कविनगर, गाजियाबाद को दिनांक 24.04.2024 एवं आपको पत्र दिनांक 07.08.2024 तथा थाना प्रभारी, थाना-कविनगर, गाजियाबाद को पत्रांक दिनांक 20.08.2024 प्रेषित किया गया है, परन्तु भवन स्वामी द्वारा सील परिसर की सील को तोड़कर भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो सरकारी आदेशो का उल्लंघन है।

कृपया निर्माण को प्रभावी ढंग से रूकवाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।

*[Handwritten Signature]*

अपर/सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

पू0सं0 531/प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 03-9-2024

प्रतिलिपि-

1. प्रभारी पुलिस निरीक्षक, जी0डी0ए0 को इस आशय से प्रेषित कि वह भी अपने स्तर से सतत निगरानी रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी थाना, थाना-कविनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

*[Handwritten Signature]*

अपर सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Note: कि पुलिस आयुक्त कविनगर को इस पत्र के लिये सूचित है। 03/09/24]*

AS  
TRUE COPY



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 583/प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 12-9-2024

प्रेषक,

अपर सचिव/प्रभारी प्रवर्तन जोन-4,  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता कार्यालय  
गाजियाबाद-प्रथम  
33/11 के0वी0, सबस्टेशन  
नियर-मेला प्लाजा  
आर0डी0सी0, राजनगर  
जिला-गाजियाबाद।

विषय- खसरा सं0-687 मि0 व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर लगे विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निर्माणकर्ता श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा खसरा सं0-687 मि0 व 687/1, ग्राम-हरसांव, निकट-शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना एवं ग्रीन बैल्ट पर निर्माण किया गया है, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत वाद सं0-GDA/ANI/2024/0002811 दिनांक 08.04.2024 योजित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.08.2024 में प्रश्नगत परिसर को सील कर दिया गया। सील अभिरक्षा/सतत् निगरानी हेतु थाना प्रभारी-कविनगर, गाजियाबाद को पत्रांक दिनांक 20.08.2024 प्रेषित किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़कर निर्माण किये जाने पर पुलिस उपायुक्त-नगर, कमिश्नरेट, गाजियाबाद को दिनांक 30.08.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। स्थल पर निर्माण कार्य रोके जाने हेतु पुनः सहायक पुलिस आयुक्त-कविनगर, कमिश्नरेट, गाजियाबाद को दिनांक 03.09.2024 को पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु भवन स्वामी द्वारा सील परिसर की सील को तोड़कर स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो सरकारी आदेशो का उल्लंघन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अवैध रूप से किये गये निर्माण के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अवैध निर्माणों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

17/9/22

अपर/सचिव/  
प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

TRUE COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): नगर (कमिश्नरेट गाजियाबाद)  
P.S. (थाना): कवि नगर Year (वर्ष): 2024  
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0969  
Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 01/10/2024 16:21

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	245
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	329(3)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day सोमवार Date From 05/08/2024 Date To 05/08/2024  
(दिन): (दिनांक से): (दिनांक तक):  
Time Period पहर 1 Time From 00:00 बजे Time To 00:00  
(समय अवधि): (समय से): (समय तक): बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 01/10/2024 Time (समय): 16:21 बजे  
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 047 Date & Time 01/10/2024 16:21 बजे  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

AS  
TRUE COPY

## 5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा):

पूर्व, 5 किमी

Beat No.  
(बीट सं.):(b) Address भवन सं0-687, मि0 व 687/1, ,ग्राम हरसाव  
(पता):(c) In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):Name of P.S.  
(थाना का नाम):District(State)  
(ज़िला (राज्य)):

## 6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री संजय कुमार अवर अभियन्ता

(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ,नगर (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ,नगर (कमिश्नरेट गाजियाबाद),

AS  
TRUE COPY

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	स्थायी पता	उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	--------------------

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7290046626

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name Present Address (रिश्तेदार का नाम) (वर्तमान पता)
1	नितिन कुमार शर्मा		1. भवन सं0 -687 ,मि0 व 687/1, ग्राम हरसाव निकट शास्त्रीनगर ,नगर (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत
2	रवि कुमार शर्मा		1. भवन सं0 -687 ,मि0 व 687/1, ग्राम हरसाव निकट शास्त्रीनगर ,नगर (कमिश्नरेट गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

## 12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाईपशुदा हिन्दी वादी सेवा में, थाना प्रभारी थाना कविनगर गाजियाबाद विषय भूखण्ड/भवन/खसरा सं0-687,मि0 व 687/1, ग्राम हरसांव, निकट शास्त्रीनगर गाजियाबाद पर प्राधिकरण द्वारा लगायी सील को तोड़कर निर्माण करने के कारण निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय कृपया अवगत कराना है कि उपरोक्त भवन सं0-687,मि0 व 687/1, ग्राम हरसांव, निकट शास्त्रीनगर गाजियाबाद पर श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा अनाधिकृत निर्माण करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत वाद सं0-GDA/ANI/2024/0002811 दिनांक 08.4.2024 संस्थित कर कार्य रोको आदेश व कारण बताओ नोटिस/ अनुस्मारक पत्र दिनांक 08.04.2024 एवं दिनांक 22.04.2024 निर्गत किया गया एवं साक्ष्य / सुनवाई हेतु दिनांक 18.04.2024 एवं दिनांक 29.04.2024 की तिथि नियत कर सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया। निर्माणकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा -14,15,26,27,28 के प्राविधानो का उल्लंघन किये जाने के कारण समक्ष अधिकारी द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 ( यथा संसोधित ) की धारा -28 क (1) के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्य को सील किये जाने के आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन मे स्थल पर दिनांक 24.04.2024 को सीलबन्द कर दिया गया ,परन्तु मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 05.08.2024 के दौरान पाया गया कि भवन स्वामी द्वारा सील किये गये परिसर मे भूतल की छत डालते हुए प्रथम तल की छत पर कार्य किया जा रहा है ,जो सरकारी आदेशो का उल्लंघन है। अतः अवैध निर्माणकर्ता श्री नितिन कुमार शर्मा एवं श्री रवि कुमार शर्मा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। दिनांक 31.8.24, हस्ताक्षर अग्नेजी अपठित , 24.08.24, (संजय कुमार ) अवर अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद। नोट जीडी लेखक का0 776 उपनेश कुमार व टाईप सीसीटीएनएस म0का0 1898 अर्चना। सक्षिप्त विवरण - विपक्षीगण 1.नितिन कुमार शर्मा 2.रवि कुमार शर्मा निवासीगण भवन सं0 -687 ,मि0 व 687/1, ग्राम हरसाव निकट शास्त्रीनगर गाजियाबाद द्वारा भवन सं0 -687 ,मि0 व 687/1, ग्राम हरसाव निकट शास्त्रीनगर गाजियाबाद पर जीडीए द्वारा लगायी गयी सील का उल्लंघन कर निर्माण करना।

AL  
TRUE COPY

बॉक्स -I)

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) KAPTAN SINGH Rank SI (Sub-Inspector) (जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 972531074 to take up the Investigation (सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. District (थाना): (ज़िला): on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

AS  
**TRUE COPY**

बोर्ड संलग्न प्रारूप नहीं  
... कार्यवाही करने के आदेश जारी कर

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फाइल)

14 Signature/Thumb impression of the  
complainant / informant. (शिकायतकर्ता /  
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge.  
Police Station


(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KAVI NAGAR

Rank I (Inspector)

No. 9454403416

AS  
TRUE COPY



22-Mar-2025 12:21:10  
 Altitude: 2222m  
 209° SW

*AS*  
 TRUE COPY

30/8/2025

खसगसं - 687 मि. व 687/1 ग्राम हरसोव निकट  
शास्त्रीनगर गा. वार्ड



GPS Map Camera

### Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

34, Police Line, Avantika Colony, Shastri Nagar,  
Ghaziabad, Uttar Pradesh 201002, India

Lat 28.673688° Long 77.476483°


20/08/2025 03:33 PM GMT +05:30



AS  
**TRUE COPY**

31

खसरा सं. 687 मिव 687/1 हरसोव शास्त्रीनगर,



GPS Map Camera

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India  
 8/6, Chiranjiv Vihar, Shastri Nagar, Ghazlabad, Uttar  
 Pradesh 201002, India  
 Lat 28.673443° Long 77.476314°  
 29/05/2025 01:29 PM GMT +05:30

Google

AS  
 TRUE COPY

प्रयत्न-क)  
(कृपया विषय 8 देखिये)  
हपुर चण्डी नोटिस

दिनांक 21/08/2025

याद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/0004451

धारा प्रदिनांक: 23/08/2025

प्रेषण संख्या: GDA/DSP/0017550

नगर विकास और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
बनाम  
श्री आनन्द शर्मा

भूखण्ड संख्या:	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-205, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर:
जोन:	ZONE 4	ईमेल आईडी:
वार्ड:	SZ408	
मोहल्ला:	HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	

अधिकृत निर्माण का विवरण:

अधिकृत निर्माण का विवरण	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-205, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल पर आवासीय निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में अध्यासित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्गगज है।
अधिकृत निर्माण स्थल का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-205, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०टी० कोर्ट में वाद योजित होने के कारण।
अधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025
व्यक्ति	अन्य भवन
प्लॉट नंबर	भवन सं०-204
फ्लोर	ग्रीन बैल्ट/सडक
संरचना	अन्य भवन
अधिकृत निर्माणकर्ता का नाम	श्री आनन्द शर्मा
अधिकृत निर्माण का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-205, शास्त्रीनगर
अधिकृत निर्माण का पता	26, 27
अधिकृत निर्माण करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
अधिकृत निर्माण करने वाले की सफाई	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27,

नगर विकास और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

नगर विकास और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/09/2025 को सुबह 11 बजे यह बताए कि पूर्ववर्त निर्माण कानूनदुरुस्त को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

नगर विकास और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

अन्य संपत्ति का विवरण:

भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	200
जोन	ZONE 4
क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
क्या मानचित्र को स्वीकृति है?	नहीं
क्या ग्रीन बैल्ट में निर्माण किया जा रहा है?	4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है?
	आवासीय



नगर विकास और विकास अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिखाना जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- ₹० (रुपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी की गई अध्यासित की दण्ड में अतिरिक्त न्यूनतम जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो ₹० 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

TRUE COPY

राजेश कुमार सिंह  
सचिव

Sh. Virendra Kuma  
संयुक्त प्राधिकरण  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

कार्यालय विहित प्राधिकारी  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
विकास विभाग, सुराज्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  
(कार्यालय विनियम 8 देखिये)  
कारण नोटिस

दिनांक : 23/08/2025 वाद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/000444  
प्रेषण दिनांक: 23/08/2025 प्रेषण संख्या: GDA/DSP/001754

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
नगर  
श्री विजय पाल सिंह

भूखण्ड संख्या:	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-197, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर :
जोन :	ZONE 4	ईमेल आईडी:
वार्ड :	SZ408	
मोहल्ला:	HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	

अनाधिकृत निर्माण का विवरण:-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-197, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल पर पॉच दुकानों का निर्माण कार्य हुआ है, जो दुकाने वर्तमान में संचालित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मीटर है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-197, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष पूर्व निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०टी० कोर्ट में वाद योजित होने के कारण।
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025

पूरव	अन्य भवन
पश्चिम	भवन सं०-196
उत्तर	ग्रीन बेल्ट/सडक
दक्षिण	अन्य भवन
कार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री विजय पाल सिंह
कार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-197, शास्त्रीनगर
स्थापित कार्यवाही	26, 27
निवेदन करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
निवेदन करने वाले की सिफारिश	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27.

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।  
यदि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/08/2025 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वकृत निर्माण कन्स्ट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।  
यदि आप अथवा अपने यहाँ सिद्धि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

निम्न विषय से प्राप्त विवरण:-

भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	200
जोन	ZONE 4
क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
क्या मानचित्र की स्वीकृति है?	नहीं
1. क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



राजेश कुमार सिंह  
सचिव

TRUE COPY

मोबाइल नुमाँ 9818582576  
25.8.2025

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भगी हो सकते हैं। जो 50,000/- रूपये (रुपया 50 हजार) तक है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रूपे 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कार्यालय विहित प्राधिकारी  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
विकास तथा पुराता वन अनु, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  
पत्र (क)  
(प्रमाण मिनसप 8 देखिये)  
कार्यालय नमूने नोटिस

दिनांक : 23/08/2025

वाद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/0004445

प्रेषण दिनांक: 23/08/2025

प्रेषण संख्या: GDA/DSP/0017544

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
नमूना  
श्री विजयपाल सिंह

भूखंड संख्या :	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-198, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर :
जोन्स :	ZONE 4	ईमेल आईडी:
वार्ड :	SZ408	
मोहल्ला :	HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	

अनाधिकृत निर्माण का विवरण:

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-198, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल और प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में अध्यासित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 260 वर्गगज है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-198, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०सी० कोर्ट में वाद योजित होने के कारण।
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025
गोहदी	
पूरव	अन्य भवन
पश्चिम	भवन सं०-197
उत्तर	ग्रीन बेल्ट/सडक
दक्षिण	अन्य भवन
होदर / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री विजयपाल सिंह
होदर / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-198, शास्त्रीनगर
स्थापित कार्यवाही	26,27
सिखेदन करने वाले का पदनाम	अवर अधियन्ता
सिखेदन करने वाले की सिफारिश	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा.26, 27.

पर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अद्वैतानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

यद्यपि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/09/2025 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वांक निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

यदि स्वयं अपना अपने पदाधिकारी प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

संबंधित से प्राप्त विवरण:

भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	125
जोन्स	ZONE 4
क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
क्या मानचित्र की स्वीकृति है ?	नहीं
क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
क्या 4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



र  
राजेश कुमार सिंह  
सचिव

नोट: उपरोक्त पथन उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिखाना जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रूपये (रुपया 50 हजार) तक हो सके और जारी रहने वाले अपराध प्रमाणों में, अतिरिक्त पुर्नाना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उक्त अपराध के प्रथम बार करित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रूपे 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नगरिका टैलाट 9818582576

25-8-2025

TRUE COPY

Sh. Virendra Kumar  
सक्षम प्राधिकर्ता  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

35

कार्यालय विहित प्राधिकारी  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
विकास पथ, पुराना नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।  
(कृपया किताबें देखिये)  
उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम 1973

दिनांक : 23/08/2025 बाद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/00  
प्रेषण दिनांक: 23/08/2025 प्रेषण संख्या: GDA/DSP/00

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
नाम  
श्रीमती राजबाला

भूखंड संख्या :	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-204, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर :
जोन :	ZONE 4	ईमेल आईडी:
वार्ड :	SZ408	
मोहल्ला:	HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	

अनाधिकृत निर्माण का विवरण:

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-204, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल तथा प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में अध्यासित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 125 वर्गगज है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-204, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०टी० कोर्ट में वाद जोड़ित होने के कारण।
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025

पूरव	अन्य भवन
पश्चिम	प्लॉट सं०-203
उत्तर	ग्रीन बेल्ट/सडक
दक्षिण	अन्य भवन
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्रीमती राजबाला पत्नी श्री यशमवीर सिंह
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	फ्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-204, शास्त्रीनगर
प्रस्तावित कार्यवाही	26, 27
प्रतिवेदन करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
प्रतिवेदन करने वाले की सिफारिश	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा.26, 27,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अधिनियम द्वारा विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।  
अपराध आरोप गह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/09/2025 को सुबह 11 बजे यह बताए कि पूर्वागत निर्माण का-सदरूपको गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाय।  
अपराध अथवा अपने घुमावटि प्राधिकृत अधिकारता द्वारा उपस्थित हो सकते हैं और स्थिति बयान भी दे सकते हैं।

पक्षों से प्राप्त विवरण:

1. भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	125
2. जोन	ZONE 4
3. क्या अधि प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति है ?	नहीं
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



ध्यान दें: आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिसाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 60,000/- रूप० (रुपय 60 हजार) तक हो सकता है। उक्त दण्ड के अलावा आपकी अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार करित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रूप० 2,800/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**TRUE COPY**  
राजेश कुमार सिंह  
सचिव

श्रीमती राजबाला  
25/08/25

Sh. V...  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

9311687071

दिनांक : 23/08/2025

वाद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/00

प्रेषण दिनांक: 23/08/2025

प्रेषण संख्या:GDA/OSP/00

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस

भूखंड संख्या :	श्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-202, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DIAMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर :
जोन :	ZONE 4	ईमेल आईडी :
वार्ड :	SZ408	
मोहल्ला :	HAPUR CHUNGI SE DIAMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	


अनाधिकृत निर्माण का विवरण:-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	श्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-202, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल तथा प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में अध्यासित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 125 वर्ग मीटर है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	श्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-202, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०टी० कोर्ट में वाद चालित होने के कारण।
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025
चौहद्दी	
पूरव	अन्य भवन
पश्चिम	भवन सं०-201
उत्तर	ग्रान बेल्ट/लडक
दक्षिण	अन्य भवन
उद्धार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री कान्ति प्रसाद शर्मा
उद्धार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	श्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-202, शास्त्रीनगर
प्रस्तावित कार्यवाही	23, 27
मतिवेदन करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
मतिवेदन करने वाले की सिकायत	उपरो नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा.26,27

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अद्वैतानुसार सिकायत प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।  
अपवाद अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/09/2025 को सुबह 11 बजे यह बताएं कि पूर्वाक्त निर्माण कानूनद्वयन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।  
यदि उक्त अधिका अपने पदाधिकार प्राधिकृत अधिकारों द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

सर्वतंत्र प्रेषण प्राप्त विवरण:-

1. भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	125
2. जोन	ZONE 4
3. क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति है ?	नहीं
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिव्याया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 60,000/- रूप० (रुपया 60 हजार) तक हो सकता है और उसे अपराध की दृष्टि में, अतिरिक्त पुर्नमा जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रूप० 2,500/- तक हो सकता, दंडनीय होगा।

**TRUE COPY**

राजेश कुमार सिंह  
सचिव

कान्ति प्रसाद  
25/8/25  
अवर अभियन्ता

Sh. Minakshi  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण



उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के आधीन नोटिस

मिथियावात विकास प्राधिकरण

वर्ग

श्री आदेश व श्री सुरेश

दिनांक: 23/08/2025 वाद संख्या: GDA/Z4/ANI/2025/00  
प्रेषण दिनांक: 23/08/2025 प्रेषण संख्या: GDA/DSP/00

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के आधीन नोटिस

मिथियावात विकास प्राधिकरण

वर्ग

श्री आदेश व श्री सुरेश

भूखंड संख्या :	प्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-200, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद, ZONE 4, SZ408, HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	मोबाइल नंबर :
जोन :	ZONE 4	ईमेल आईडी:
वार्ड :	SZ408	
मोहल्ला :	HAPUR CHUNGI SE DAIMOND FLYOVER SE HAPUR RAILWAY LINE SE CHIRANJEEV VIHAR SE LAGE RAJWAHE SE POLICE LINE TAK KA LGA KSHETRA SHASTRI NAGAR MAHENDRA ENCLEV CHIRANJEEV VIHAR ETC	

अनाधिकृत निर्माण का विवरण-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	प्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-200, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18-20 वर्ष पूर्व भूतल तथा प्रथम तल पर आवासीय निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में अध्यासित है। भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग मज है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	प्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-200, शास्त्रीनगर, गाजियाबाद
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	लगभग 18-20 वर्ष निर्मित एवं अध्यासित, शिकायत के आधार पर मा० एन०जी०टी० कोर्ट में वाद पोजित होने के कारण।
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	21/08/2025
वोहरी	
पूरव	अन्य भवन
पश्चिम	-भवन सं०-199
उत्तर	ग्रीन बेल्ट/सडक
दक्षिण	अन्य भवन
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री आदेश व श्री सुरेश
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	प्री-होल्ड प्लॉट सं०-एस०एफ०-200, शास्त्रीनगर
प्रस्तावित कार्यवाही	26,27
प्रतिवेदन करने वाले का पदनाम	अवर अभियन्ता
प्रतिवेदन करने वाले की शिकायत	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 26, 27,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के अन्वये अनुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

अपराध अपराध को जानती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 02/08/2025 को सुबह 11 बजे यह बताने कि पूर्णतः निर्माण कानूनद्वारा को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

अपराध अपराध अपने यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

प्रवर्तन प्रेष से प्राप्त विवरण:-

1. भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	200
2. जोन	ZONE 4
3. क्या आदेश प्लाटिंग हुई है?	नहीं
4. क्या मानचित्र स्वीकृत है ?	नहीं
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



टिप्पणी : आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्प दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 60,000/- रूप० (रुपया 60 हजार) तक हो सकता है। उक्त दण्ड को आप अपने अनाधिकृत निर्माण को उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार करीत किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया करने के बाद, जारी हो रूप० 2,500/- तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

Handwritten signature

रजेश कुमार सिंह  
सचिव

TRUE COPY

25/08/25

20250719840

39

₹5  
NCT OF DELHI COURT FEE  
DLCT0744602B2842M  
07-FEB-2025

120



**BEFORE THE Hon'ble NATIONAL GREEN TRIB**

**OA No. 367/2025**



**Krishan Vir Singh & Anr.**  
VERSUS

**Ghaziabad Development Authority & Ors.**

I, **M.P. Singh**, Joint Secretary, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad in the above matter hereby appoint and retain **Shri Anshul Sharma, Advocate** to appear act and plead for me/us in the above matter and to conduct/prosecute and defend the same in all interlocutory or miscellaneous proceedings connected with the same or with any decree orders passed therein, appeals and/or other proceedings therefrom and also in proceedings for review of judgment and for leave to appeal to Hon'ble High Court and to obtain return of any documents filed therein, or receive any money which may be payable to me/us.

I/We further authorize him to appoint and instruct any other legal practitioner authorizing him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so.

I/We hereby authorize him/them on my/our behalf to enter into a compromise in the above matter, to execute any decree/order therein, to appeal from any decree/order therein and to appeal, to act and to plead in such appeal or in any appeal preferred by any other party from any decree/order therein.

I/We agree if I/We fail to pay the fees agreed upon or to give the instructions at all stages he/they is/are at liberty to retire from the case and recover all amounts due to him/them and retain all my/our monies till such dues are paid.

And I/We the undersigned to hereby agree to ratify and confirm all acts done by the advocate or his substitute in the mater as my own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

Executed by me/us this 8<sup>th</sup> day of August 2025 at GHAZIABAD, U.P.

*[Signature]*  
08-08-2025  
Signature's  
एम०पी० सिंह

**Executant's are personally known to me he has/they have signed by me** संयुक्त सचिव/प्रभारी विधि गा०वि०प्रा०, गाजियाबाद

Satisfied as to the identity of executant's signature's  
(Where the executant's is/are illiterate blind or unacquainted with the language of Vakalat).

Certified that the contents were explained the executant's in my presence in English the language known to him/them who appear/s perfectly to understand the same and have/have signed in my presence.

Accepted

*[Signature]*  
**ANSHUL SHARMA**  
In. No. D/3658/2020 ADVOCATE  
SUPREME COURT OF INDIA  
Ch. No. 401, Block-I, Delhi High Court  
New Delhi-110003, Mob: 8585954922  
E-mail: advanshul.s@gmail.com

Accepted

40

Compose



Inbox 7

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 1

More

Labels

### Advanced Service of Counter Affidavit - Respondent No. 3 in O.A. No. 367/20



**Chaitanya Jain** <advchaitanya@gmail.com>  
to adv.akashchandrayan@gmail.com


6:0

Sir,

PFA the complete scanned file of the Counter Affidavit on behalf of the Respondent No. 3 filed before the National Green Tribunal, 367/2025. Kindly treat the same as an advanced service and make it convenient to appear before the NGT at the time of the hearir

Regards  
Chaaianya Jain  
(Advocate)

One attachment - Scanned by Gmail



PDF Krishan Vir Singh .

Reply Forward 😊